25

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 1643-तीन/2009 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 3-9-2009 - पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्र0क0 59/2008-09 अपील

सुरेश पुत्र चटउ त्यागी
कस्वा सवलगढ़ जिला मुरैना ---आवेदक

विरूद्ध

1- देवेन्द्र कुमार पुत्र राम सिंह त्यागी
ग्राम पासोन खुर्द तहसील सवलगढ
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---असल अनावेदक

2- दुर्गाप्रसाद 3- सियाराम पुत्रगण चटउ

4- श्रीमती मथुरावाई पत्नि स्व.चटउ
तीनों ग्राम सकलपुर तहसील जौरा जिला मुरैना

5- श्रीमती रामदेई पुत्री चटउ पत्नि नारायण
ग्राम चिन्नौनी तहसील जौरा जिला मुरैना

6- श्रीमती कमला पुत्री चटउ पत्नि रामजीलाल
ग्राम चिन्नौनी तहसील जौरा जिला मुरैना

7- श्रीमती लक्ष्मी पुत्री चटउ पत्नि पंचम ग्राम
बदरपुरा तहसील जौरा जिला मुरैना ---तर0अनवेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव)

आ दे श
(आज दिनांक 1 - 8 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 59/08-09 अपील में पारित आदेश दि. 3-9-09 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कस्वा सवलगढ़ की भूमि स0क्र0 226 एंव 592 की भूमिस्वामी श्रीमती अजुद्धीवाई एंव श्रीमती आनन्दी हिस्सा 1/2 की भूमिस्वामी थीं। महिला आनन्दी की मृत्यु उपरांत उसके वारिस देवेन्द्रकुमार अनावेदक क्र–1 ने रजिस्टर्ड बसीयत के आधार पर तहसील न्यायालय में नामान्तरण का आवेदन दिया, जिस पर प्रकरण क्रमांक 4/01–02 अ–6 पॅजीबद्व हुआ। इस्तहार प्रकाशन पर आवेदक ने तहसील न्यायालय में भूमि पर कई वर्षो से कब्जा होने के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की तथा प्रोवेट की कार्यवाही हेतु निवेदन किया, किन्तु पेशी 22–5–03 को प्रोवेट संबंधी नियम प्रस्तुत न करने के कारण समय समाप्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। कलेक्टर जिला मुरैना ने निगरानी प्रकरण क्रमांक 69/02–03 में पारित आदेश दिनांक 25–8–04 से निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण पुर्नसुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। तहसील न्यायालय में सुनवाई के दौरान आवेदक ने फिर से बसीयत पर प्रोवेट जारी करने की मांग की। तहसीलदार ने इस पर गौर न करके प्रकरण दिनांक 11–4–15 को साक्ष्य हेतु नियत कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण 35/04–05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–9–05 से निगरानी स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस किया कि कलेक्टर के आदेश दिनांक 25–8–04 अनुसार कार्यवाही करते हुये प्रकरण का निवटारा किया जावे। तहसीलदार सवलगढ़ ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 3–10–06 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/2 पर पंजीकृत बसीयतनामे के आधार पर अनावेदक क्र–1 का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, सवलगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 1/06–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–12–07 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 103/07–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–9–09 से अपील अस्वीकार कर दी। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के क्रम में उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने से परिलक्षित है कि यह निर्विवाद है कि वाद विचारित भूमि के सम्बन्ध में अनावेदक क्र-1 पॅजीकृत बसीयतधारी है और पॅजीकृत बसीयत के आधार पर उसके द्वारा तहसील न्यायालय में नामांतरण की मांग की गई है, जबकि अनावेदक क-1 का पॅजीकृत बसीयत के आधार पर नामान्तरण न किये जाने की मांग आवेदक वादित भूमि पर कब्जे के आधार पर कर रहा है। किसी कृषक की भूमि पर कब्जा बताने से नामान्तरण कार्यवाही नहीं की जाती है जबतक कि नामान्तरण कराने वाले पक्षकार बैध स्वत्व का अर्जन होना प्रमाणित न कर दे। विचाराधीन प्रकरण में अनावेदक क्र-1 ने वारिसान के आधार पर एंव पॅजीकृत बसीयत के आधार पर नामान्तरण चाहा है एंव पंजीकृत बसीयत प्रमाणित होने के आधार पर तहसीलदार सवलगढ़ ने अनावेदक क-1 का वादित भूमि पर नामान्तरण किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने आदेश दिनांक 26-12-07 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 59/08-09 अपील में आदेश दिनांक 3-9-09 पारित करते समय तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समरूप है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 59/08-09 अपील में आदेश दिनांक 3-9-09 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर